20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

(27)

निग-1882-II-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016

पवन कुमार छिब्बर पुत्र श्री केदार नाथ छिब्बर, निवासी ग्राम सकरिया तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
--आवेदक

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर अनूपपुर (म.प्र) ---अनावेदक

दिनांक 8-6-16 को श्री विनोद भार्गव अभि० द्वारा प्रस्तुत
8-6-16

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा की जारी अधिकारित रहित कार्यवाही एवं जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12/04/2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

मानतीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

1. यहकि, आवेदक ग्राम सकरिया का निवासी है। आवेदक द्वारा ग्राम सकरिया में अपने भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य में भूमि धारित है। ग्राम सकरिया ग्राम पंचायत दुलहरा जनपद पंचायत जैतहरी तहसील व जिला अनूपपुर में आता है अर्थात वार्ड न. 16 नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आता।

2. यहकि, आवेदक द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 3/1क/1क का अंतरण किया गया है। जिसके विषय में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 172 एवं म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961की धारा 339क उलंघन मानते हुये धारा 339ग, 339ङ एवं 339च के अधीन कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यवाही संस्थित कर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है जो अधिकारिता रहित होने से समस्त कार्यवाही एवं कारण बताओ सूचना पत्र अपास्त किये जाने योग्य है।

3. यहकि, आवेदक की भूमि एवं ग्राम सकरिया नगर पालिका सीमा के अंतर्गत न होकर ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधीन आता है इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों को म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 अथवा नगर पालिका कॉलोनाईजर नियम 1998 के अधीन आवेदक के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने की अधिकारिता ही नहीं है।

(23)

(2)

R-1882-II/16 अनु-५४२

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
3-10-18	आवेदक अभि. श्री. विनोद भार्गव अनु. अता. सूचित हो। रिकार्ड मंगाया जावे। cf- 30-10-18 आज्ञा से Pn	
	पुनः आवेदन पत्र पेश किया गया। आवेदन पत्र पर तर्क हेतु। cf 30-10-18 आज्ञा से Pn	30-10-18
30.10.18	(1)- आवेदक पवन कुमार की ओर से अभि. श्री R.D Sharma एवं शासन पक्ष की ओर से अभि. श्री योगेश्वर सिंघल उपस्थित। (2)- आवेदक अभिभाषक अपनी पुनरीक्षण याचिका को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये करने हेतु वापस लेना चाहते है। (3)- शासकीय अभि. को आवेदक अभि. के अनुरोध पर आपत्ति नहीं है। (4) अतः आवेदक अभि. के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाती है। 30.X.18	

शाक्षेमुग्वा—355—फॉर्म्स—3-2-16—30,000 प्रपत्र.